कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री मुकेश कुमार मेश्राम, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री डेल्हीवेरी प्रा0लि0, प्लाट नम्बर-491, ट्रान्सपोर्ट नगर, स्कीम फेज-2, लखनऊ।**
प्रार्थना-पत्र संख्या व दिनांक	**018 / 16, 02.09.2016**
प्रार्थी की ओर से	**कोई उपस्थित नहीं हुआ।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

प्रार्थी सर्वश्री डेल्हीवेरी प्रा0लि0, प्लाट नम्बर-491, ट्रान्सपोर्ट नगर, स्कीम फेज-2 लखनऊ द्वारा दिनांक 02.09.2016 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें उनके द्वारा निम्नलिखित प्रश्न का विनिश्चय किये जाने का अनुरोध किया गया है :-

Provisions under Rule 38 sub Rule 8 (a) of the UP VAT Act 2008.

8(a) Where a railway container contractor, an air cargo operator or a courier service provider receives any goods from any person for carrying to any destination, he shall require the person to submit a declaration in Form XVII and likewise where a railway container contractor, an air cargo operator or a courier service provider receives any goods for delivery he shall obtain declaration in Form XVIII from the person to whom goods are deliverad;

There is no clarity on the above provisions that this is a applicable on the CST transactions / dealers of the other states.

We request you to kindly explain the above provision for our smooth business operations in Uttar Pradesh

We seek clarification on following points..

1. Any circular, notification or guidelines issued by the commercial tax department regarding implementation and use of the said forms 17 & 18
2. Form 17 & 18 is applicable for inter-state goods
3. Other state dealers need to fill form 17 who is doing CST sale or its applicable for UP dealers only
4. Form 17 & 18 is applicable for B2C goods movements or only in case of B2B
5. Form 17 & 18 is applicable for e-commerce transactions
6. Form 17 & 18 should be available with the vehicle while transporting or Transporter should keep this in records
7. Form 17 & 18 is applicable for goods below Rs. 5000/- as form 39 is not applicable

.....2

in B2C movements

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु प्रार्थी को कई नोटिस भेजी गयी, कोई उपस्थित नहीं हुआ । नैसर्गिक न्याय के हित में पुन: दिनांक 21.02.2017 के लिए नोटिस भेजी गयी । उक्त नोटिस की तामीली के उपरान्त भी, कोई उपस्थित नहीं हुआ ।

3. एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, लखनऊ जोन-प्रथम, लखनऊ के पत्र संख्या-1615, दिनांक 30.09.2016 द्वारा प्रेषित आख्या में कहा गया है कि :-

1. फार्म-17 व 18 के प्रयोग किये जाने के सम्बन्ध में मुख्यालय के पत्र संख्या-वि0अनु0शा0-SPN पंजीयन / 2015-16 / 1940 (कम्प्यूटर परिपत्र संख्या-1516043 / 23.10.2015) दिनांक 23.10.2015 में विस्तृत रूप से विवेचन किया गया है ।

2. हॉ, इन्टर स्टेट गुड्स की ई-कामर्स व्यवसाय हेतु कन्साइनर के लिये फार्म-17 एवं कन्साइनी के लिए फार्म-18 भरने की व्यवस्था की गयी है ।

3. कन्साइनर के लिए फार्म-17 भरना आवश्यक है ।

4. B-2-C के लिए फार्म-17 / 18 आवश्यक है एवं B-2-B के लिए आयात घोषणा-पत्र की व्यवस्था पूर्व से ही विभाग में चल रही है ।

5. हॉ, ई-कामर्स के लिए फार्म-17 / 18 आवश्यक है ।

6. नई व्यवस्था के तहत फार्म-EC वाहन के साथ परिवहन के समय होना आवश्यक है ।

7. रु0 5000.00 से अधिक की खरीद हेतु फार्म-39 / 38 की व्यवस्था है किन्तु ई-कामर्स के लिए हाल ही में फार्म-EC की व्यवस्था की गयी है ।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि आवेदनकर्ता द्वारा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के नियमावली के नियम-38 के उपनियम-8ए की व्याख्या से सम्बन्धित अंश की पृच्छा की गई है ।

उत्तर प्रदेश मूल्य संविर्धत कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) निम्न प्रकार से प्राविधानित है :-

" यदि न्यायालय के समक्ष अथवा इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकारी के समक्ष विचाराधीन कार्यवाही से भिन्न कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ "-

(क) कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का संघ, सोसायटी, क्लब, फर्म, कम्पनी, निगम, उपक्रम या सरकारी विभाग व्यवहारी है, या

(ख) किसी माल के प्रति किया गया कोई कार्य-विशेष स्वत: या परिणामत: माल का निर्माण, उस शब्द के अर्थानुसार है ; या

(ग) कोई संव्यवहार विक्रय या क्रय है और यदि हॉ, तो उसका विक्रय या क्रय मूल्य, यथास्थिति, क्या है ; या

(घ) किसी व्यवहारी विशेष से पंजीयन कराना अपेक्षित है ; या

.....3

(ङ) किसी विक्रय या क्रय विशेष के सम्बन्ध में कर देय है, और यदि हॉ, तो उसकी दर क्या है-

प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र से स्पष्ट है कि उनके द्वारा कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है अपितु उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की नियमावली के नियम-38 के उपनियम-8ए की व्याख्या करने का अनुरोध किया गया है जो उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 की परिधि में नहीं आता है। अत: प्रश्नगत प्रार्थना-पत्र धारा-59 की परिधि में न आने के कारण अस्वीकार किये जाने योग्य है।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, लखनऊ जोन-प्रथम, लखनऊ द्वारा प्रेषित आख्या एवं विधि व्यवस्था का परिशीलन किया गया। आवेदन कर्ता द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की नियमावली के नियम-38 के उपनियम-8ए में उल्लिखित तथ्यों की व्याख्या चाही गई है जो धारा-59 की परिधि में नही आता है इसलिए आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 59 की परिधि में न आने के कारण अस्वीकार किया जाता है।

6. प्रार्थी द्वारा धारा-59 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र ग्राह्य न होने के कारण अस्वीकार किया जाता है।

7. उपरोक्त की प्रति प्रार्थी, कर निर्धारण अधिकारी तथा कम्प्यूटर में अपलोड करने हेतु मुख्यालय के आई0टी0 अनुभाग को प्रेषित की जाये।

दिनांक 07 मार्च, 2017

ह0/ 07-03-17

(मुकेश कुमार मेश्राम)
कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।